

जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: २६/०७/२०१६

क्रमांक ए 1-1/2016/जसंसं/स्था/4935 / म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर, 2014 में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों/प्रावधानों के तहत श्री नरेन्द्र सिंह राठौर (अन्य पिछड़ा वर्ग) पुत्र स्व. श्री लच्छीराम राठौर निवासी भोपाल को भृत्य के नियमित पद वेतनमान 4440-7440+ग्रेड-पे-1300 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त जिला जनसंपर्क कार्यालय, आगर-मालवा में पदस्थ किया जाता है:-

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थ:- अवकाश नियम, पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा ।
4. कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी पत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार दिवंगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले का होगा। नियुक्ति पाने वाला यदि आश्रित परिजनों की अनदेखी करेगा अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं करेगा तो अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अधीन रहेंगे।
6. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. कि आवेदक की नियुक्ति शासन नियमानुसार चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की गई है । यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
8. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम(6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा, से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में छूट रहेगी।
9. कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने पर तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 20 अगस्त, 2009 में दिये गये प्रावधानों के तहत भृत्य के लिये वेतन बेण्ड 4440-7440 में इनका वेतन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रूपये 4750/-ग्रेड-पे-1300/-निर्धारित होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु की प्रविष्टि अंकित कर दी गई है ।


  
(अनुपम राजन)  
आयुक्त, जनसंपर्क



पृ.क्रमांक ए1-1/2016/जसंसं/स्था./4936  
प्रतिलिपि:-

/ भोपाल,दिनांक: २६/०७/२०१६

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
2. अपर सचिव,म.प्र.शासन,जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. स्टेनो,आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय,भोपाल ।
4. समस्त अपर संचालक,जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल ।
5. प्रेस प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री निवास/जनसंपर्क मंत्री निवास/राज भवन/ मंत्रालय भोपाल ।
6. संयुक्त/उप/सहायक संचालक(लेखा/वित्त) जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल ।
7. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, आगर-मालवा म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रति भेज कर लेख है कि कृपया नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर संचालनालय को अवगत करायें। नियुक्त किए गए कर्मचारी का बायोडाटा कोषालय में फीड कराएँ तथा चरित्र सत्यापन की कार्रवाई भी करें।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय आगर-मालवा।
9. अध्यक्ष, विभागीय चतुर्थ कर्मचारी समिति,जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय,भोपाल।
10. प्रभारी अधिकारी,सेन्ट्रल सर्वर,कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।
11. सहायक संचालक/अधीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी स्थापना/गोपनीय प्रभाग/ लेखा (जी.पी.एफ/जी.आई.एस/ टी.ए)/ बजट/ सूचना के अधिकार कक्ष/ वेबसाईट कक्ष जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल ।
12. श्री नरेन्द्र सिंह राठौर पुत्र स्व.श्री लच्छीराम राठौर - निवासी- प्लाट नं. 1 गेहूखेड़ा विंध्याचल एकेडमी रोड़, नयापुरा कोलार रोड़, भोपाल म.प्र.की ओर रजिस्टर्ड डाक से नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें । निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
13. स्टाक/रिकार्ड फाईल ।

  
(अनिल माथूर)  
संचालक,जनसंपर्क

